कार्यालय,
सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पत्रांक– सचिव/परिषद लखनऊ/2018/[illegible] [illegible] दिनांक 16-5-2018

–:सर्वविदित हेतु:–

[illegible]

ऐसी [illegible] विसंगति इस कमेटी संस्था विगत सत्र 2017-18 हेतु [illegible] द्वारा अनुमोदित प्रदान किया गया है, परन्तु [illegible] द्वारा अनुमोदित प्रदान नहीं किया गया है, एवं परिषद की निर्धारण समिति द्वारा [illegible] द्वारा अनुमोदित [illegible] के अनुसार सत्र 2018-19 हेतु संबद्धता प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति प्रदान की गयी है, जो संस्था में समिति द्वारा निरीक्षण किया गया एवं निर्णय लिया गया कि ऐसी संस्थाओं को [illegible] अनुमोदन सत्र प्रदान हो जाने के उपरान्त प्रबन्ध कार्य के प्रारंभ के समय में वैधानिक अड़चन कर दी जाने जिससे अवैधानिक संस्थाओं को समुचित प्रबन्ध समिति गठित इस अवैधानिक परिस्थितियों से सम्मिलित बनाया जा सकें।"

अतः निम्नानुसार समिति संस्था की समिति की निर्धारित समिति का विवरण-विवरणपत्र द्वारा की गयी अनुशंसा तथा संस्थाओं समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर समिति जिला परिषद, आ [illegible] सत्र 2018-19 हेतु निर्धारित मानकों के अधीन [illegible] संबद्धता प्रदान हेतु संस्तुति प्रदान की गयी है :–

क्र० सं०	संस्था कोड	संस्था का नाम	संस्था का पता	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

संस्था के हित में

- [illegible]
- [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

कार्यालय
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

क्रमांक: प्रशिक्षण/परिषद सम्बद्धता/2020/[illegible] लखनऊ: दिनांक: [illegible]-9-2020

—कार्यालय ज्ञाप—

अधिनियम [illegible] के नियम [illegible] के अनुसार प्रत्येक वर्ष [illegible] प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्राप्त किए जाने के उद्देश्य से प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्राप्त किए जाने हेतु दिनांक [illegible] को अधिनियम प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की सम्बद्धता के अधीन [illegible] के [illegible] के [illegible] द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं की सम्बद्धता/पूर्व से सम्बद्धित संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार/सम्बद्धता/अंक प्रमाण वृद्धि सहित अन्य सभी मद शिक्षक संख्या [illegible] सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रकृत के अनुसार में सम्बद्धता समिति की बैठक के [illegible] के निर्णयानुसार [illegible] सम्बद्धता समाप्त करने वाली सूची एवं सम्बद्ध संस्थाओं का [illegible] संलग्न [illegible]। सम्बद्धता समिति द्वारा संस्था विस्तार-विस्तार एवं निरस्तीकरण निर्णय लिया गया।

जिसी साथ ही स्थगित विद्यालय एवं कार्यालय सहायक संचालित करने वाली संस्थाएं जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से सूची में सम्बद्ध हैं, वर्ष सत्र 2020-21 हेतु जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। उन संस्थाओं ने जिलाधिकारी द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके सत्र के अनुरूप अंकित सम्बद्धता/अंकित प्रमाण के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव समिति द्वारा विस्तार-विस्तार किया अन्य एवं कार्यालयों के जिलाधिकारी द्वारा प्रदान अनुमोदन विस्तार के अनुसार ही सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 30-06-2020 को आहूत सम्बद्धता समिति की बैठक में लिए गये उपरोक्त निर्णय के अनुसार 70 जिला संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन सम्बद्धता एवं सत्रों अंकित करने तथा हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :—

क्रम सं0	इकाई कोड	संस्था का नाम	सम्बद्धता का नाम	जिलाधिकारी द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित अंकित संख्या	जिलाधिकारी/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित अंकित संख्या
1	1000	जिला [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	विस्तार एवं [illegible]	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था [illegible] जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था द्वारा [illegible] प्राथमिक शिक्षा परिषद, सत्र 1000 तक [illegible] शिक्षा परिषद [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

(डा० [illegible] सिंह)
[illegible]

पृ०सं०– [illegible] दिनांक: 18-09-2025

प्रतिलिपि–[illegible] विभाग [illegible] को [illegible] हेतु।

(डा० [illegible] सिंह)
[illegible]

कार्यालय,

उत्तर प्रदेश पारामेडिकल शिक्षा परिषद,

[illegible]

क्रमांक:- [illegible]/2021/0337

लखनऊ: दिनांक: 22/03/2021

[illegible]:-

उत्तर प्रदेश पारामेडिकल शिक्षा परिषद, नई दिल्ली स्थित [illegible] द्वारा दिनांक [illegible] 2021-22 हेतु दिनांक [illegible] तक आवेदन स्वीकार किए जाने के उपरान्त पारामेडिकल शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के सम्बन्धित सम्बद्धता निरस्त करने हेतु दिनांक [illegible] को [illegible] की सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु [illegible] की सम्बद्धता पूर्व से सम्बन्धित संस्था की सम्बद्धता निरस्त, पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि [illegible] सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता निरस्त करने विषय में [illegible] किया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिए गये निर्णय के अनुक्रम में पैरामेडिकल संस्था को पारामेडिकल शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 3339-VIDYA BHAVAN COLLEGE OF PHARMACY VILL-RAUTAPUR/CHAUBEYPUR,KANPUR-209203

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता हेतु सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

✓ संस्था पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता संशोधित की गयी उसके लिये [illegible] का पूर्ण पालन करेगी।

✓ संस्था उत्तर प्रदेश पारामेडिकल शिक्षा परिषद अधि 1962 तथा पारामेडिकल शिक्षा परिषद विनियमावली 1982, पैरामेडिकल विनियमावली 2016 तथा अन्य निर्गत नियमों एवं आदेश का अनुपालन करेगी तथा मूलभूत संसाधनों एवं शैक्षणिक मानकों हेतु [illegible] मूलभूत भौतिक ढांचे पाठ्यक्रमवार हेतु रू0 30,150,000/- परिषद, दो अतिरिक्त पाठ्यक्रमों हेतु रू0 40000.00/- परिषद एवं [illegible] दो अतिरिक्त पाठ्यक्रमों हेतु रू0 [illegible]/- परिषद मूलभूत ढांचे के अतिरिक्त [illegible] के मूलभूत ढांचे के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश लागू होंगे, और मानुसार आवश्यकता किया जाना अनिवार्य होगा। यदि निरीक्षण कमेटी द्वारा सत्र 2021-22 हेतु शैक्षणिक सत्र का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो उसके भी अनुपालन करने लागू होंगे।

✓ संस्था को प्रत्येक पारामेडिकल शिक्षा: प्रशिक्षित तथा उप प्रशिक्षितों, संस्था में सम्बद्ध किया जाना विनियमावली 2020 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।

✓ संस्था में मानुसार प्रत्येक पारामेडिकल पाठ्यक्रम वार जो शैक्षणिक शुल्क लिया जाना सीटों के शेष रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।

✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार शैक्षणिक एवं सम्बद्धता शुल्क जमा कराना होगा।

✓ संस्था को [illegible] के अनुपालन हेतु अनुरोधित पत्र बिना अन्य अपेक्षित होगा।

✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर विधि/नियमों/अधिसूचनाओं/परिपत्रों/[illegible] एवं निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, [illegible], राज्य प्रवेश परीक्षा परिषद, [illegible] तथा चिकित्सा शिक्षा परिषद, [illegible] द्वारा समय समय पर जारी नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।

✓ शिक्षण कार्य [illegible] पाठ्यक्रम के सापेक्ष यदि कोई, कोई, नई विधा से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ती है तो इस संबंध में संस्थान उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। चिकित्सा शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई सूचना प्रेषित प्राप्त है उसके उपरांत इस के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिभूति [illegible] अथवा निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिभूति सम्बन्धित संस्था की होगी।

✓ शिक्षण इस कार्यवाही पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं का संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आयोजन एवं के लिए आवश्यक प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यान्वित प्रवेश होने के पूर्व पाठ्यक्रमों के अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा यदि प्रवेश की कार्यान्वित के अभाव शासन द्वारा कोई अवैध अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।

✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नियमानुसार आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।

✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सुविधाएं जैसे संस्थान की [illegible] पूर्ति सूचि, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] शिक्षक छात्र सूचना, आवास सुविधा आदि का विवरण प्रकाशित करना होगा।

✓ संस्थान का विकास अभिवृद्धि हेतु उपयुक्त धनराशि उपलब्ध कराने के साथ वित्तीय नियमों के अनुसार ही आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में आवश्यक अधोसंरचना पाठ्यक्रमों का संचालन करने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने कार्य प्रतिवेदन, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद की इकाई अवगत होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्थान संस्था की मान्यता तत्काल किसी प्रकार की अनुमति की जायेगी।

✓ संस्था के अन्तर्गत निर्माण होकर संस्था के भूमि, भवन, पुस्तकालय, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा [illegible] परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की मान्यता तत्काल रद्द की जायेगी।

✓ संस्थान द्वारा का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुपालनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार शंकर)

सचिव

पृ0सं0- [illegible] सं0[illegible]/2021/[illegible]-4[illegible]

दिनांक: 03/05/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक VIDYA BHAVAN COLLEGE OF PHARMACY VILL-RAUTAPUR,CHAUBEYPUR,KANPUR-209203